झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfohazwest@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक : 946 दिनांक: 07/3/18

सेवा में,

वन सरंक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक 1218 दिनांक 28.07.2017 , वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 346 दिनांक 06.02.2018 तथा प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक शून्य दिनांक 15.02.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1218 दिनांक 28.07.2017 द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर पृच्छा की गई है। पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय पत्रांक 285 दिनांक 19.01.2018 द्वारा भवदीय को अग्रसारित किया गया था। प्राप्त प्रतिवेदन पर आपके पत्रांक 346 दिनांक 06.02.2018 द्वारा पृच्छा क्रम संख्या 2, 5 एवं 6 के अनुपालनार्थ समर्पित निराकरण प्रतिवेदन पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया गया था। प्राप्त निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक 676 दिनांक 13.12.2018 द्वारा प्रयोक्त अभिकरण को पत्र लिखा गया था। उक्त पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। साथ ही पृच्छा संख्या 6 में अवैध खनन् के विरूद्ध अंतिम अपराध प्रतिवेदन पर अद्योहस्ताक्षरी का मंतव्य पृच्छा कॉलम संख्या 06 के सामने अंकित है।

समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर पृच्छाओं के निराकरण की स्थिति निम्नवत प्रतिवेदित की जा रही है –

क्र.सं.	पृच्छा	अनुपालन
(1)	वन विभागीय पत्रांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा पृछित बिन्दु संख्या ''ख'' को स्पष्ट किया जाय कि प्रस्तावित वन भूमि में Safty Zone की Water body के आस–पास तथा अन्य स्थानों पर कुल चौडाई वास्तम में कितनी है।	Width of Safety zone near water body has kept 15 meter and rest on other places along the Mining lease boundary has kept 7.5 meter. Copy of Safety Zone Plan showing the Width of Safety Zone is enclosed herewith as Annexure-I.

(2)	Mining Plan के पेज 34 पर Excavated Area मात्र 330 मीटर दिया गया है, जबकि मूल प्रस्ताव के कंडिका–2 में Mining (Ultimate Pit) 12.14 ha. बताया गया है। इस विरोधाभाष को स्पष्ट किया जाय।	Refer to the cross section along A-A; & B-B' of approved Progressive Mine closure plan of Karma Stone Mine (enclosed as Annexure-II) where it indicates that the top Contour/Surface Level of the existing ground is 390 meter in terms of reduce level with respect to Mean Sea Level Mining shall be done up to a depth of 60 meter from top Contour/Surface Level of 390 meter over a period of 10 years. After end of life of mine. quarry floor level of excavated area would be 330 meter.
(3)	यदि यह मान भी लिया जाय कि सम्पूर्ण 12.14 हे0 में खनन कार्य किया जायेगा तो जिस प्रकार 2017–18 से 2027–28 (10 वर्षो) में 6.25 मिलियान क्युबिक मीटर स्टोन के उत्पादन का Schedule दिया गया है। उससे लगभग 50 मीटर गहरा vertical गढ़ा पूरे क्षेत्र में वन जायगा। इतने गहरे गढे को Reclaime किया जाना किस प्रकार संभव हो पायगा, ताकि Top Soil के साथ वृक्षारोपण हो सके, इसकी विवरणी दी जाय।	Mining to excavate the 6.25 million of Cu Mt of stone from the proposed Karma Stone Mine will be done by open cast mining method followed by formation of Benches of 3 meter width & 3 meter height at an ultimate Pit Slope of 45". Hence, Vertical Mine Pit will never be formed. So far the Reclamation over the excavated area followed by spreading of top soil and Afforestation is concern; Reclamation & Afforestation will be commenced on 2028-29 and continued till to 2031-32 for the period of 4 years after fully exhausts of mineral form the said mine. Method of reclamation & afforestation and its financial outlay over the excavated area is given in the enclosed Reclamation & Afforestation Scheme with its plan as **Annexure III** which is self explanatory for the manner of reclamation. Moreover, it is to inform you that, as per rule 23 C Mineral Conservation & Development Rules 1988 (**Copy Enclosed as Annexure IV**), a final Mine Clouser Plan has to be approved from Govt of Jharkhand prior to one year of the closure of the mine

		which is only for Reclamation & Afforestation. Therefore, Rehabilitation of excavated quarry area after end of life of mine shall be done by us.
(4)	प्रयोक्ता अभिकरण ने एक जगह उल्लेख किया है कि Top Soil का प्रयोग Road Maintainance हेतु किया जायगा जबकि दूसरे जगह उल्लेख किया कि Top Soil को वृक्षारोपण के लिए गढ़ा भरा जायगा। कृपया इसे स्पष्ट किया जाय।	Applied area of Karma Stone Mine is virgin and exists on fully exposure of stone where generation of top soil during mining would be very negligible quantity. When Mining operation over the said area will start. the excavated top soil shall be spread over road. During reclamation of excavated quarry, top soil shall be prodcured from nearby area in order to spread over the filled area and sapling shall be planted.
(5)	माईनिंग प्लान के पेज 54 टेबुल–31 में खनन की औसत गहराई 60 मी0 दी गयी है जबकि पेज 42 पर भू–जल स्तर (Water Table) अधिकतम 65 मी0 दी गई है। इस स्थिति में इतनी गराई तक कहाँ तक उचित होगा। स्पष्ट किया जाय।	Refer to the same cross section along A-A: & B-B' of approved Progressive Mine closure plan of Karma Stone Mine (**enclosed as Annexure II**) where it indicates that the top Contour/Surface Level of the existion ground is 390 meter in terms of reduce level with respect to Mean Sea Level. Ground water table of the proposed Karma Stone mine is 65 meter depth from the existing surface level i.e. top Contour/Surface Level of 390 meter in terms of reduce level with respect to Mean Sea Level. Therefore, Whater table is present at a depth of 325 meter reduce level. Quarry floor level of excavated area will reach at 330 meter reduce level at the end of the life of mine where as Water table is available at a depth of 325 meter reduce level.
(6)	प्रस्तावित स्थान के आस–पास अवैध माईनिंग प्रतिवेदित है। इस हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती रही है।	चौपारण वन प्रक्षेत्र के मौजा करमा थाना चौपारण थाना संख्या 289 के प्लौट संख्या 771 (जो विषयगत प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित है) 767, 766, 768 एवं 769 में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा निर्गत खनन पट्टा को रद्ध करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2182 दिनांक 07.7.2014, 1454 दिनांक

		11.03.2016, 3064 दिनांक 04.06.2016 एवं 1748 दिनांक 30.03.2016 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है तथा प्रति उपायुक्त, हजारीबाग को भी दी गई है, किन्तु निर्गत खनन पट्टा रद्ध होने की सूचना इस कार्यालय को अब तक अप्राप्त है, भेजे गये पत्रों की छाया प्रति **अनुलग्नक VI** के रूप में संलग्न है। चौपारण प्रक्षेत्र के मौजा करमा वन में अवैध पत्थर खनन के मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत वन वाद संख्या 108/2016, 109/2016, 388/2016 एवं 609/2016 दर्ज किया गया है । उक्त अवैध खनन् का अंतिम अपराध प्रतिवेदन (अभियोजन) न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र, झारखण्ड सरकार से ऑन लाईन परिवाद पत्र भी दायर किया गया है जिसका Grivance No. 2016-21772 है । परिवाद पत्र द्वारा यह पूछा गया है कि मौजा करमा प्लौट संख्या 771, 772 एवं अन्य में लोग द्वारा कब्जा कर अवैध तरीके से उत्खनन कर पत्थर बेचा जा रहा है। उक्त मामले से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 5865 दिनांक 22.10.2016 द्वारा प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार रांची को प्रतिवेदित किया गया है, भेजे गये प्रतिवेदन की छाया प्रति **अनुलग्नक VII** के रूप में संलग्न है।

अतः प्राप्त संशेधित निराकरण प्रतिवेदन की सात–सात प्रतियॉ इस पत्र के साथ अत्र–सह–संलग्न कर यथोचित कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल